न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2021

1. रामकुमार पुत्र हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
2. प्रताप पुत्र हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
3. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब ना म

1. हरिसिंह पुत्र सहीराम जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
2. मेवा पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
3. बिमला पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
4. शान्ति देवी पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
5. मामकौरी पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
6. गुड्डी देवी पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
7. कृष्णा देवी पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
8. राजबाला पुत्री हरिसिंह जाति बादी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
9. एसबीआई बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़डा के खाता सं0 245/225 के खसरा सं0 341 की 9.4720है0 खसरा सं0 347 की 1.5430 है0 खसरा सं0 349 की 0.9860है0 कुल 12.0010है0 बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं 1 हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 रामकुमार वादी सं 2 प्रताप वादी सं0 3 दलीपसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.3.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:38 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2021

1. राजकुमार पुत्र हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
2. प्रताप पुत्र हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
3. दलीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।

:– वादीगण

ब नाम

1. हरिसिंह पुत्र सहीराम जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
2. मेवा पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
3. बिमला पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
4. शान्ति देवी पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
5. नानकौरी पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
6. गुड्डी देवी पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
7. कृष्णा देवी पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
8. राजबाला पुत्री हरिसिंह जाति बाटी निवासी गढ़डा त0 भादरा।
9. एसबीआई बैंक शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल: **वादीगण**
वकील श्री विनोद शर्मा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 26-03-21**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढ़डा के खाता सं0 245/225 के खसरा सं0 341 की 9.4720है0 खसरा सं0 347 की 1.5430 है0 खसरा सं0 349 की 0.9860है0 कुल 12.0010है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं01 हरिसिंह के नाम व इसी प्रकार रोही मौजा गढ़डा के ही खाता सं0 11/78 के खसरा सं0 230 की 230 की 4.0470है0 बारानी [illegible] हरिसिंह के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के [illegible] की खातेदारी हुआ करती थी। सहीराम के बाद उक्त [illegible] ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है त[illegible] हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Scanned with CamScanner

करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। जबकि प्रतिवादी सं 9 व 10 को वकील वादी ने तर्क अंकित गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामकुमार पुत्र हरिसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी गढडा संवत 2075–78 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 जमाबंदी खसरा मिलान प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। जिसमें रोही गढ़डा के खाता सं0 245/225 की वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें जबकि खाता सं0 11/78 की वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावें। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही गढड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी गढ़डा संवत 2075–78 प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 जमाबंदी खसरा मिलान प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार हरिसिंह के तीन पुत्र रामकुमार, प्रताप, दलीपसिंह व सात पुत्रियां मेवा, बिमला, शान्ति देवी, मानकौरी, गुड्डीदेवी, कृष्णादेवी, राजबाला तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है । रोही गढ़डा के खाता सं0 11/78 के खसरा स0 230 की 4.0408है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम यथावत् रखी जाकर शेष वाद भूमि में प्रतिवादी सं0 1 नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आ[illegible]

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) [illegible]

अत : वाद वादी[illegible] राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जा[illegible] के खाता सं0 245/225 के [illegible]सं0 341 की 9.4720है0 खसरा सं0 347 की [illegible]30 है0 खसरा सं0 349 की 0.9860है0 कुल 12.0010है0 बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं 1 हरिसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है

Scanned with CamScanner

इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 रामकुमार वादी सं 2 प्रताप वादी सं0 3 दलीपसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26-03-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner